

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 20 MAY TO 26 MAY 2020

Inside News

मझाले उद्यमों की परिभाषा में और बदलाव किए जाएंगे: एमएसएमई

Page 3



editorial!

राज्यों पर दारोमदार

तमाम आशंकाओं और आपत्तियों के बीच भारत में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है, जो 31 मई तक चलना है। इससे पहले कई तरफ से यह बात उठी थी कि लॉकडाउन ने कोरोना वायरस के फैलाव को बेकाबू होने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाइ है, लेकिन अब देश इस स्थिति में पहुंच रहा है कि लॉकडाउन से होने वाला नुकसान इसके फायदे को बहुत पीछे छोड़ सकता है। आर्थिक गतिविधियों का टप पड़े रहना न सिर्फ करोड़ों लोगों को बेरोजगार बना सकता है, बल्कि समूची व्यवस्था के सामने गंभीर खतरे खड़े कर सकता है। संभवतः इसीलिए लॉकडाउन का चौथा चरण घोषित करते हुए केंद्र सरकार ने साफ कहा कि सारे सुक्ष्म उपाय सुनिश्चित करने के साथ ही इस चरण में ज्यादा जोर आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने और जनजीवन को सामान्य बनाने पर रहेगा। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कई छूटें घोषित की हैं, साथ ही अगे की छूटों के बारे में फैसला राज्य सरकारों और जिला प्रशासन पर छोड़ा है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार राज्यों को और कंटेनमेंट जोन तथा बफर जोन तय करने का जिम्मा जिला प्रशासन को सौंप दिया गया है। राज्य सरकारें जिमीनी स्थितियों से बेहतर ढंग से विकिप होते हैं, इसीलिए प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में वीमारी के फैलाव के खतरों और आवादी की जुरूरतों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त फैसला वे ज्यादा आसानी से कर सकती हैं। इसका असर भी पहले दिन से ही दिखने लगा। दिल्ली में एम्स अस्पताल ने इसी सपाह ओपीडी खोलने का फैसला करते हुए इसकी तैयारी शुरू कर दी है, जबकि पंजाब सरकार ने अन्य राज्यों से कैब और निजी वाहनों के आने की मंजूरी दे दी है। कर्नाटक सरकार ने राज्य के अंदर बस, ऑटो और निजी वाहनों के चलने की इजाजत दे दी है, साथ ही उन्हें पैसेंजरों की संख्या कम रखने और अन्य सावधनियां बरतने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। राज्यों पर फैसला छोड़ने का एक मतलब यह भी है कि इस चरण में सबके बीच सामंजस्य बनाना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इसका सकेत पहले ही दिन कर्नाटक सरकार के उस फैसले से मिला जिसमें उसने साफ कहा कि चार राज्यों- महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और केरल से लोगों के उसकी सीमा में आने पर 31 मई तक रोक लगी रहेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये चारों राज्य इसे अपने खिलाफ उठाया गया कदम मानकर प्रतिशोधात्मक कार्रवाई का रास्ता नहीं अपनाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो कोरोना से निपटने और आर्थिक मंदी से बचने की दुरुपाला चुनौती से जूझने का हमारा संकल्प अधूरा ही रह जाएगा। बेहतर होगा कि लोकल लेवल पर बीमारी से सर्वश्रेष्ठ तरीके से लड़ाई जारी रखते हुए भी हम अपने नजरिये को राष्ट्रीय बनाए रखें। वह केंद्र सरकार के राजनीतिक कोशल का इमतहान भी है क्योंकि राज्यों में तालमेल बनाए रखने की जिम्मेदारी अंततः उसी की है।



EPF अंशदान में 3 महीने के लिए कठौती लागू

Page 4



■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 39 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

जर्मनी की फुटवियर कंपनी चीन से आगरा लाएगी अपना कारखाना



Page 7

बंद उद्योगों को लाखों के बिल

■ औद्योगिक संगठनों का ई-धरना आंदोलन को आईपीपीएफ का समर्थन ■ एआईएमपी के नेतृत्व में जुटेंगे प्रदेश के 150 औद्योगिक संगठन ■ विद्युत बिल के फिक्स चार्ज, न्यूनतम युनिट्स और पॉवर फैक्टर का विरोध

(विस्तृत समाचार पृष्ठ 4-5 पर)



इंडैसैरी आईपीटी नेटवर्क

विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 से सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में फैल रही है। भारत भी इस महामारी से अछूता नहीं है, पिछले 60 दिनों से उद्योग कारखाने बंद पड़े हैं। उद्योगों में विद्युत उपभोग नहीं के बराबर है लेकिन विद्युत वितरण कंपनियों के तानाशाही रवेये के कारण 100 युनिट विद्युत उपभोग पर भी लाखों के बिल थमाये

जा रहे हैं। विद्युत कंपनियों के द्वारा वसूले जा रहे फिक्स चार्ज, न्यूनतम युनिट्स और पॉवर फैक्टर का विरोध पुरे प्रदेश में किया जा रहा है। अब इसके विरोध में प्रदेश के 150 से अधिक औद्योगिक संगठन ई-धरना दे कर रहे हैं। इसके लिए इंडैसैरी आईपीटी का औद्योगिक संगठन एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश के संयोजन में पुरे प्रदेश के औद्योगिक संगठन 21 मई को सुबह 11 बजे ई-धरना देंगे। प्रदेश व्यापी इस औद्योगिक आंदोलन के संयोजक और एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज प्रदेश के अध्यक्ष श्री प्रमोद डफरिया ने बताया कि लॉकडाउन के इस दौर में जुड़ रहे उद्योगों के हित में सभी औद्योगिक संगठनों का समर्थन मिला है।

केन्द्रीय करों से राज्यों को मिले 46,039 करोड़ रुपये जीएसटी क्षतिपूर्ति के 15,340 करोड़ रुपये जारी

नवी दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उसने केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से की 46,038.70 करोड़ रुपये की मई माह की किसी रुपये में जुर्मानी दे दी है। वहीं, सूतो ने बताया कि माल एवं सेवाओं (जीएसटी) क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को इस वित्त वर्ष में अब तक 15,340 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय ने एक टीवी में कहा, "ई-माह के लिये राज्यों के हिस्से की जारी की गई किस अप्रैल के ही समान है। इसकी गणना सरकार की मौजूदा वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर नहीं बल्कि वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों के आधार पर की गई है।" इसमें कहा गया है कि केन्द्र सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी के भिलाफ लड़ाई में राज्यों के राजसवं की रक्षा करने के साथ ही उनकी नक्ती जूझने को पूरा करना है। वित्त मंत्रालय के सूत बताते हैं कि जनवारी तक राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की बात है 2019-20 में नवंबर 2019 तक राज्यों को 1,20,498 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं जबकि इससे पिछले वर्ष 2018-19 में पूरे साल के दौरान 69,275 करोड़ रुपये जारी किये गये। उत्तर प्रदेश 2017-18 में 41,146 करोड़ रुपये राज्यों को दिये गये। जीएसटी प्राप्तानी एक जुलाई 2017 से लागू है। इस साल के बजट में केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 7.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। 15वें वित्त वार्षे ने वित्तियां होने वाले ग्राहक पूर्ण में से राज्यों का हिस्सा 41 प्रतिशत रखने की सिफारिश की है। इसके अलावा नपमटिन बेंक्रेट शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिये एक प्रतिशत राशि तय की गई है। इसमें पहले 14वें वित्त वार्षे ने केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 42 प्रतिशत रखने का सुझाव दिया था।

वित्त मंत्रालय ने एक अन्य टीवी में कहा है, "वित्त मंत्रालय ने केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से के लिये मई माह की किसी रुपये तक तीव्र प्रदेश के अंदर विद्युत जितनी बिजली उतना दाम"। विवरण में से अब्र प्रदेश को 1,892.64 करोड़ रुपये, असम को 1,441.48 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल के लिये 3,461.65 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश को 8,255.19 करोड़ रुपये, केरल को 894.53 करोड़ रुपये और बिहार के लिये 4,631.96 करोड़ रुपये जारी होंगे। विवरण में 498.15 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 367.84 करोड़ रुपये, झारखंड को 1,525.27 करोड़ रुपये, मध्यप्रदेश को 3630.60 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र को 2824.47 करोड़ रुपये मिलेंगे।

औद्योगिक संगठनों का ई- धरना आंदोलन को आईपीपीएफ का समर्थन

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस ई-धरना आंदोलन में इंडियन प्लास्ट पैक फोरम, मप्र प्लास्टिक ग्रेनुअल मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन, मालवा चैर्चर्स ऑफ कार्मर्स, ग्लोबल फोरम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सहित अनेक संगठनों का समर्थन मिला है।

जुड़ेंगे प्रदेश के औद्योगिक संगठन

एआईएमपी उपाध्यक्ष श्री योगेश मेहता ने बताया कि इस ई-धरना आंदोलन को जनप्रतिनिधियों का भी समर्थन मिला है।

इंदौर सांसद श्री शंकर लालवानी ने उद्योग की मांग का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को चिठ्ठी लिखी है। वही प्रदेश के जल संसाधन मंत्री और इंदौर संभाग के प्रभारी श्री तुलसी सिलावट ने भी उद्योगों की बिजली बिल संबंधी मांग पर मुख्यमंत्री से चर्चा करने का आशासन दिया है। एआईएमपी के वरिएट उपाध्यक्ष श्री प्रकाश जैन भटेवराने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन के बाद लगभग सभी उद्योग 5

मिनिट भी नहीं चले हैं लेकिन उके बिजली के बिल लाखों में आ रहे हैं। ये बिल उद्योगों को मारने के जैसे हैं। उहोंने कहा कि अप्रैल और मई माह में कोई उत्पादन नहीं होने के बाद भी विद्युत बिल में फैक्सर चार्ज, न्यूनतम युनिट्स और पॉवर फैक्टर के चलते लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं। इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के अध्यक्ष सचिन बंसल ने बताया कि औद्योगिक संगठनों ने बिजली कंपनी सीआईडी, डिस्कॉम कंपनी


और इलेक्ट्रिक सिटी रेयुलरी और प्रमुख सचिव उर्जा को भी पत्र लिखे हैं लेकिन कोई हल नहीं निकला है। ऐसे में अपनी बात मुख्यमंत्री तक फूहचानें के लिए प्रदेश के सभी संगठन ई-धरना देगें। यदि शासन उद्योगों को राहत नहीं देगा को कई उद्योग स्थाइ रूप से बंद हो जाएंगे। इस दिशा में देश के 8 राज्यों ने समय पर एक्शन लेकर वहाँ के उद्योगों को बचाने के लिए काम किया है।



Authorised Dealer of



Reliance POLYMERS



Bhaskar Resins Pvt Ltd

DEALER : RELIANCE INDUSTRIES LTD

44 D-2, Sanwer Road Industrial Area, Sector D, Railway Crossing Main Rd, Indore, Madhya Pradesh 452015

website- <http://bhaskarresins.com>

email- bhaskarresins12@gmail.com

Mob- +91-96307-98864

Tel : 0731 -2971277, 2971377

email- sachinbansal123@gmail.com

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सावेरे रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.ग्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के धूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग विना संपादक की अनुमति के करना बर्जिंह है। अखबार में छोड़े लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है।

अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संरक्षण की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वयंवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।

